पार- 85

[26/7/2019] 1

प्रश्न सं. [क्र. 3924]   ता.प्र.क्र. 3924

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय वल्लभ, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19/2/ 2018

// आदेश //

क्रमांक/एफ 44-16/2017/20-2:: मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 347/आर–1703/चार/ब–1/2012, दिनांक 31.3.2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मंत्रि परिषद के आदेश दिनांक 8 फरवरी 2018 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना क्रमांक 6813 के निरंतर संचालन तथा क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 से 2018–19 एवं 2019–20 में संचालन के लिए हेतु कुल राशि रूपये 845.88 करोड़ (रूपये आठ सौ पैतालिस करोड अट्ठासी लाख मात्र) की व्यय सीमा पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

2– सायकिल वितरण हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है:–

2.1 ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत है, तथा वहाँ जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम मे शासकीय माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल संचालित नही है तथा वह अध्ययन के लिये किस अन्य ग्राम/शहर के किसी शासकीय स्कूल में जाते है।

2.2 ग्रामीण क्षेत्र मे निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों मे कक्षा 6वी एवं 9वीं में अध्ययनरत है तथा वह उसी ग्राम के ऐसे मजरे टोले में निवासरत है जो उस माध्यमिक/हाईस्कूल से 02 किमी की अधिक की दूरी पर हो।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र मे स्थित कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राऐं, जिनके माध्यमिक शाला/हाईस्कूल छात्रावास से 02 किमी या अधिक दूरी पर है।

3– योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संदर्भित उक्त ज्ञापन मे उल्लेखित कंडिका अनुसार की जावे। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के सन्दर्भित ज्ञापन में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं वित्त विभाग द्वारा यू0ओ0 नोटक्रमांक 415/693/बी–3/चार/2017, दिनाक 26.09.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर) 19/2/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग